न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 38/2017 **दायरा दिनांक : 03.03.2017**

उनवान

श्रीमती शान्तिबाई पुत्री प्रताप, जाति बलाई, निवासी ग्राम सलोतिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— श्री भागीरथ आत्मज नन्दा, जाति बलाई, निवासी ग्राम खामणी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री मोहम्मद मन्सूर आलम अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री धीरज सिंह झाला एवं श्री अजीत सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 12.04.2018**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 3/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम गुन्दी, तहसील पिडावा की जमाबंदी संख्या नई 133 पर आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 47/406 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की 16 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है । वादग्रस्त आराजी में वादिनी और प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 की सहखातेदारी की है । जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी ने षडयंत्रपूर्वक किसी अन्य महिला को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित कराकर सहमति बंटवारा तैयार करवा लिया । वादिनी वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड सहखातेदार है । उसे तहसीलदार द्वारा किये गये विभाजन को चुनौती देने का अधिकार है । अतः वादिनी का दावा स्वीकार कर वादिनी के पक्ष में विभाजन की डिक्री जारी कर आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.03.2015 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट ने तथाकथित बंटवारे को चुनौती दी थी । अपीलांट कभी भी तहसीलदार पिडावा के समक्ष उपस्थित नहीं हुई थी । लोक अदालत में अपीलांट व उसके

वकील की अनुपस्थिति में बिना उनको सूचना दिये निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.02.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

5 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6 अपीलांट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी व 151 सी पी सी पेश कर यह कथन किया है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक फौजदारी प्रकरण थाना सुनेल में दर्ज करवाया था जिसमें चार्जशीट पेश की गई है, इससे सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये जा रहे हैं । प्रार्थना पत्र के साथ एफ आई आर की प्रमाणित प्रति, एफ एस एल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति और पुलिस के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की प्रति है । इस प्रार्थना पर भी बहस उभयपक्षीय सुनी गई है । प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेज पुलिस की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां हैं जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है । अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पेश किये गये दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया जाता है ।

7 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट वादिनी ने बंटवारे का दावा पेश किया था । पूर्व में तहसीलदार के समक्ष अपीलांट कभी भी उपस्थित नहीं हुई है । तहसीलदार के द्वारा सहमति के आधार पर जो बंटवारा किया गया है वह विधि विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना सी पी सी की पालना के निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

8 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि आराजी का बंटवारा पूर्व में हो चुका था फिर भी रेस्पोडेंट ने बंटवारे के लिए अपनी सहमति दे दी थी । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

9 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

10 अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी ने दिनांक 27–11–2014 को उपस्थित होकर दावे को डिग्री करने में अनापत्ति व्यक्त की है। पत्रावली में सलंग्न नामान्तरकरण संख्या 112 की प्रमाणित प्रति के अनुसार आपसी सहमति के आधार पर वादी और प्रतिवादी के खाते पृथक किये जा चुके हैं । ऐसी स्थिति में यदि वादिनी का यह मानना है कि उनका फर्जी अंगूठा लगवाकर यह विभाजन करवाया गया है तो उन्हें तहसीलदार के समक्ष इन तथ्यों के साथ रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए अथवा सक्षम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए । सहमति के आधार पर किये गये बटवारे के बाद

बटवारे का नया दावा मेंटेनेबल नहीं है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

11 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 यथावत रखा जाता है । अपीलांट पैरा संख्या 10 में किये गये विवेचन के अनुसार सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष रिव्यु प्रार्थना पत्र अथवा तहसीलदार के निर्णय के खिलाफ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

12 निर्णय आज दिनांक 12.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा